रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 495] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 1974/अग्रहायण 12, 1896
No. 495] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 1974/AGRAHAYANA 12, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) Section (G & Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 3rd December 1974

S.O. 690(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (1) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Assam, for a period of six months with effect from 11th December, 1974 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q)]

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा (II) अनुभाग (जी एण्ड क्यू)]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1974

सा० नि० 690(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968(1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है

कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-12-74 से 10-6-75 तक छह मास के लिए आसाम से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II(जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 691(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Chandigarh for a period of six months with effect from 15th December, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&W)]

सा० नि० 691(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 15-12-74 से 14-6-75 तक छह मास के लिए चण्डीगढ़ से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II(जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 692(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Tripura, for a period of six months with effect from 15th December, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&W)]

सा० नि० 692(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 15-12-74 से 14-6-75 तक छह मास के लिए त्रिपुरा से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II(जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 693(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Punjab, for a period of six months with effect from 19th December, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

सा० नि० 693(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 19-12-74 से 18-6-75 तक छह मास के लिए पंजाब से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II(जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 694(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Gujarat, for a period of six months with effect from 20th December, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

सा० नि० 694(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 20-12-74 से 19-6-75 तक छह मास के लिए गुजरात से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II(जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 695(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in J & K for a period of six months with effect from 26th December, 1974 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q)]

सा० नि० 695(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968(1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 26-12-74 से 25-6-75 तक छह मास के लिए जम्मू और कश्मीर में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II(जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 696(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Mizoram, for a period of six months with effect from 11th December, 1974 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q)]

सा० नि० 696(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-12-74 से 10-6-75 तक छह मास के लिए मीजोराम में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० -II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 697(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-Section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Nagaland, for a period of six months with effect from 11th December, 1974 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q)]

S. HAMID, Jt. Secy.

सा० नि० 697(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-12-74 से 10-6-75 तक छह मास के लिए नागालैण्ड में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II(जी० एण्ड क्यू०)]

एस० हामिद, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974